

बिहार सरकार

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

का०आ०सं०-वि० प्रा० (I) मु०स्था०-17/2026/

/पटना, दिनांक-

कार्यालय आदेश

विद्वान महाधिवक्ता के पत्रांक-194 दिनांक-11.11.2025 के आलोक में सुश्री अपर्णा सिंह, विधि सहायक विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना की सेवा दिनांक-12.12.2025 से 12.06.2026 तक ली गयी थी।

उक्त अवधि में सुश्री सिंह का कार्य न्यायिक वादों के निष्पादन एवं प्रति शपथ पत्र दायर करने में संतोषजनक रहा है। इनके कार्य को दृष्टिगत रखते हुए इनकी सेवा अवधि के निम्नरूपेण विस्तार की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-


क्र०सं०	नाम एवं पदनाम	जन्म-तिथि	विभाग में नियोजन का कार्यालय आदेश सं०/तिथि	योगदान स्वीकृति की तिथि	अवधि विस्तार
1	2	3	4	5	6
01.	सुश्री अपर्णा सिंह, विधि सहायक	19.08.1998	171 दिनांक-09.01.2026	12.12.2025	दिनांक- 12.06.2026 से 12.12.2026 तक

02. प्रस्ताव में सचिव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

अपर सचिव-सह-निदेशक,
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक - वि० प्रा० (I) मु०स्था०-17/2026/ 3177 /पटना, दिनांक - 29/5/26
प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विद्वान महाधिवक्ता को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


अपर सचिव-सह-निदेशक,